IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक न्याय के उत्थान एवं गांधी विचार दर्षन

काला सिंह
व्याख्याता
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
पीरकामड़िया, हनुमानगढ़

शोध सार

गांधीवादी चिंतन सामाजिक न्याय के भारतीय वैचारिकी के इतिहास में अपने रचनात्मक एवं सुधारात्मक दार्शनिक योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है। इन्होंने सामाजिक न्याय की उपलब्धि हेतु राजनीति से संबंधित मूल्यों एवं आदर्शों का विवेचन कर इसे नैतिक एवं आध्यात्मिक दर्शन की श्रेणी में समाविष्ट किया। क्योंकि सामाजिक न्याय के गांधी प्रतिमानों का अनुशीलन से काफी हद तक संपूर्ण मानवता के कल्याण में सफल सिद्ध हुआ जा सकता है। बशर्ते हम गांधी दर्शन को व्यवहार में ला पायें। उन्होंने जो भी कहा उसे अपने जीवन व्यवहारिक स्तर प्रदान किया उन्होंने सामाजिक न्याय के शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। सामाजिक न्याय के संघर्ष की स्थितियों में उनका सत्याग्रह साधक से मांग करता है वह अपने संघर्ष को पूर्णतः सत्यनिष्ठा, प्रेम व्यवहार और सहिष्णुता से प्रतिष्ठित करे।

शब्द कुंजी : सामाजिक न्याय, गांधीवादी चिंतन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, वर्णाश्रम, अपरिग्रह, अस्पृश्यता, संपोषी समाज।

शोध आलेख

सामाजिक न्याय के उत्थान एवं गांधी विचार दर्शन 20वीं सदी के विभिन्न युगान्तरकारी मनीषियों में एक प्रमुख मनीषी, क्रांतिकारी तपस्वी एवं नैतिकता से ओत–प्रोत महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी थे। ऐसा कहा जा सकता है कि पूर्व ओर पश्चिम के जिस सामंजस्य का श्रीगणेश स्वामी विवेकानंद ने किया उस व्यापक सामाजिक एवं नैतिक आधार पर प्रेरित करने का श्रेय गांधी जी को है। यद्यपि वे मूलतः मोक्षपंथी एवं नैतिकतावादी आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे लेकिन उनका कार्यक्षेत्र सामाजिक न्याय की स्थापना करना रहा है। गांधी जी नीतिशास्त्री सामाजिक विचारक एवं सामाजिक न्याय के क्रांतिकारी चिंतक से रूप में अद्वितीय थे। उन्होंने वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय के प्रति मानवीय सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का महान कार्य किया वे समकालीन व्यवहारिक दार्शनिकों की श्रेणी में आते है। वे सामाजिक न्याय के भारतीय वैचारिकी के इतिहास में अपने रचनात्मक एवं सुधारात्मक दार्शनिक योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है।

गांधी जी ने सामाजिक न्याय की उपलब्धि हेतु राजनीति से संबंधित मूल्यों एवं आदर्शों का विवेचन कर इसे नैतिक एवं आध्यात्मिक दर्शन की श्रेणी में समाविष्ट किया। क्योंकि सामाजिक न्याय के गांधी प्रतिमानों का अनुशीलन से काफी हद तक संपूर्ण मानवता के कल्याण में सफल सिद्ध हुआ जा सकता है। बशर्ते हम गांधी दर्शन को व्यवहार में ला पायें। उन्होंने जो भी कहा उसे अपने जीवन व्यवहारिक स्तर प्रदान किया उन्होंने सामाजिक न्याय के शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। सामाजिक न्याय के संघर्ष की स्थितियों में उनका सत्याग्रह साधक से मांग करता है वह अपने संघर्ष को पूर्णतः सत्यनिष्ठा, प्रेम व्यवहार और सहिष्णुता से प्रतिष्ठित करे। उन्होनें सामाजिक अन्याय के विभिन्न कारकों पर विजय पाने के लिए उनके विरूद्ध शांतिपूर्ण प्रतिवाद की शुरूआत की। इसी प्रकार के विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उनके व्यावहारिक नैतिक विचार दर्शन का उद्‌भव हुआ जिसे आज हम व्यवहारिक नीतिशास्त्र (Applied Ethics) के नाम से जानते है। जिसे हम आध्यात्मिक एवं सामाजिक कटिबद्धता कह सकते है।

उनका समस्त दर्शन मानवीय मूल्यों की स्थापना से संबंधित था। गांधीजी के सामाजिक न्याय के दर्शन को व्यवहारिक जीवन में लागू करने पर वह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रगत दैनिक जीवन व्यवहार को परिष्कृत सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। इस प्रकार वैश्विक जीवन निर्माण एवं सामाजिक कल्याण के चरमबिन्दू तक पहुंच बनाई जा सकती है जिससे मानवीय सुरक्षा, संरक्षा आत्मस्वाभिमनी एवं सर्व समावेशी समाज की उपलब्धि हासिल की जा सकती है।

सामाजिक न्याय एवं गांधीवादी चिंतन का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते है–

पंचमहाव्रत : सामाजिक न्याय का आधार –

उपनिषदों, जैन एवं बौद्ध दर्शन से प्रभावित गांधीजी का चिंतन सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पंचमहाव्रतों का पालन अनिवार्य मानते है। ये पंचमहाव्रत इस प्रकार है–

अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्चा परिग्रहाययाः

योगसूत्र 2/30

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से पांच यम है।

अहिंसा– अहिंसा का शाब्दिक अर्थ होता है, हिंसा न करना, परंतु गांधी जी अहिंसा के इस शाब्दिक अर्थ से संतुष्ट न थे। अहिंसा से उनका आशय सकारात्मक अनुशासन से है। सकारात्मक अनुशासन से तात्पर्य मन, वचन, कर्म एवं इन्द्रियों पर नियंत्रण से है। मानव के अंदर ही आक्रामक प्रवृति होती है, जिसके वश में होकर मानव समाज में विभिन्न निर्योग्यताओं से पीड़ित समुदाय का शोषण दमन एवं अत्याचार करता है। यदि इस पर सकारात्मक अनुशासन लगा दिया जाये तो प्राणीमात्र के प्रति प्रेम का अभ्युदय स्वतः ही मानव मन में प्रस्फुटित होने लगता है। समस्त जीवों के प्रति तिरोभाव का समर्पण हो जाता है जैसे एक मां अपनी संतान के लिए त्याग करते हुए कष्ट सहन करती है। ऐसे ही अनुशासित व्यक्ति समाज कल्याण के विभिन्न परार्थ सुख एवं सेवा की भावना से समाज में समरसत एवं प्रेम का संचार करता है। अहिंसा की प्रकृति है– अत्याचारों को जड़ अथवा समूल नष्ट करना। ऐसे समाज में उपेक्षित, पीड़ित, पददलित कमजोर एवं वंचित तबके के लोगों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनमें भी कर्तव्य पालन का भाव समाहित हो जाता है।

सत्य– सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। LOVE IS GOD AND GOD IS LOVE प्रत्येक व्यक्ति में सत्य का अंश होता है। गांधी जी की मान्यता है कि सत्य पर आधारित समाज में सामाजिक अन्याय की समस्या का स्वतः ही निदान हो जाता है। वैदिक काल में सत्य को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि का आधार माना गया है। ब्राह्मण एवं आरण्यक दर्शन में से सत्य को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है।

सत्यमेष ब्रह्म

सतपथ ब्राह्मण 2/1/4/10

आगे कहा गया है मेरी आत्मा सत्य है।

सत्यं च आत्मा

तैतिरीय ब्राह्मण 3/7/7

मानव के लिए सत्य उतना ही आवश्यक है जितना कि सजीव होने के लिए प्राण आवश्यक है। उनके अनुसार सत्य की ही सत्ता है इसलिए ईश्वर का नाम काण सत्यनारायण किया गया है। हमारी समस्त क्रियाविधियों का केन्द्रण सत्य पर ही होना चाहिए। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए। गांधी कहते है कि सत्य वही हो जिसे विचार, वाणी एवं कर्म से व्यवहार में लाया जा सके। सभी प्राणियों में सत्य का अंश होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति परस्पर समान है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का सम्मान इसलिए करता है कि उसमें भी उसी परम् सत्ता सत्य का अंश है। सत्य अनुरागी साधक किसी व्यक्ति से अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता है। संसार में सत्य के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत् नहीं है। व्यक्ति जब तक षड रिपुओं (काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन, माया) के प्रभाव में रहेगा। वह सत्य से साक्षात्कार नहीं कर सकता है। गांधी जी ने मानव को मानव से बांधने वाली एवं मानव के साथ मानव होने के नाते व्यवहार करने वाली शक्ति के रूप में सत्य से साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया है ताकि समाज में समानता का भाव आये।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्।

बृहदारण्यक उपनिषद (1.4.14)

अस्तेय– गांधी जी के अनुसार कोई वस्तु अथवा सामग्री बिना उसके स्वामी के आदेश अथवा आज्ञा से लेना अस्तेय कहलाता है। अस्तेय का आमतौर पर आशय चोरी न करने में लिया जाता है। लेकिन गांधीय चिन्तन में किसी को ऐसी वस्तु या सामग्री या अधिकार से वंचित करना या रखना जो वास्तव में उसकी है, चोरी है। अस्तेय का पालनकर्ता कभी ऐसी वस्तु का अधिग्रहण नहीं करता जो वास्तव में उसकी नहीं है। किसी वस्तु की चोरी करने की इच्छा रखना भी मानसिक चोरी है।

गांधी जी आगे अस्तेय का विशिष्ट अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते है कि किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उसके स्वामी से वह वस्तु चाहे उसकी आज्ञा से भी ले लेते है तो भी वह चोरी ही है। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है वह चीज हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। परिणामस्वरूप वह वस्तु उस व्यक्ति को प्राप्य होगी जिसे उसकी वास्तव में आवश्यकता है। इससे कई प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का निदान स्वतः हो जायेगा।

अपरिग्रह– अपरिग्रह का आशय संग्रह या संचय करने से है। सत्य अहिंसक व्यक्ति कभी अपरिग्रह नही करता है। वह परमात्मा पर विश्वास रखकर चलता है कि जिस चीज की जिस दिन मुझे आवश्यकता होगी ईश्वर स्वतः ही वह चीज मुझे उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए वह संचय करने की आवश्यकता ही नहीं समझता। वह ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपरिग्रह व्रत का पालन करता है। यदि हम केवल अपने लिए केवल आवश्यक चीजों का संग्रह करें तो सामाजिक असमानता और उसमें पैदा होने वाले समस्त विकार स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

ब्रह्मचर्य– गांधी जी ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल कामेच्छा निरोध को ही नहीं मानते है। उनकी मान्यता है कि ब्रह्मचर्य का आशय ब्रह्म–सत्य की खोज में चर्या। उसके अनुरूप सत्यान्वेषी कार्य व्यवहार करता है। मन, वचन एवं कर्म से सभी समयों के सभी स्थानों पर अपनी समस्त इन्द्रियों का पूर्ण संयम करना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कहलाता है। वह अपने पराये से भेद नहीं करता है। ऐसे में सामाजिक अन्याय, शोषण, अत्याचार, दमन इत्यादि सामाजिक बुराईयां उससे दूर होती चली जाती है। इन सिद्धांतों को व्यवहार मं प्रयोगकर्त्ता सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हासिल कर पाता है।

सामाजिक न्याय और समानता – गांधी जी मानव की विविध आयामों की समानता के पक्षधर थे। प्रत्येक व्यक्ति की अन्तर्निहित समानता में विश्वास रखते है। उनका मत है कि एक दूसरे पर श्रेष्ठता का दावा करने वाला मानव, मानव कहलाने के योग्य नहीं है। उनका मानना है प्रत्येक मनुष्य जन्म से समान होता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करता है तो वह मनुष्यता के विपरीत है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक आधार पर एक दूसरे के साथ विभेद की प्रवृति गैर–सामाजिक व्यवहार है। वह प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आत्मवत् प्रेम करने की बात करते है। वे साम्प्रदायिक सद्भाव के संबंध में कहते हैं कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना मानव मात्र का कर्तव्य है। उन्होंने पुरूष–नारी के बीच के भेदभाव को अस्वीकार किया है। आर्थिक समानता के संदर्भ में वे कहते है कि क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से काम लिया जाये और उसको उसकी आवश्यकता के अनुरूप देय हो। उनका विश्वास था कि

समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक के पास पांच एकड़ भूमि होनी चाहिए। एक ही तरह के मकान एवं उतना ही कपड़ा होना चाहिए, परन्तु इसका यह अर्थ जरूर है कि प्रत्येक के पास रहने के लिए मकान, पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र और भोजन के लिए पर्याप्त अन्न होना चाहिए।

'हरिजन सेवक' 17 अगस्त 1940

वे आर्थिक समानता के न्यायपूर्ण वितरण के समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि समस्त संसाधनों का समान वितरण शायद ही संभव हो, लेकिन समान वितरण के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज के उन विकृत पक्षों से विद्रोह किया जो समाज में असमान व्यवहार के स्त्रोत थे। बाल विवाह, विधवा प्रथा, प्रदा प्रर्था, सामाजिक जड़ता, अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा तथा तद्जनित कुरीतियों के अंत के लिए वे सदैव संघर्षरत रहे। सामाजिक न्याय की स्थापना उन्होंने समानता की वैचारिकी के समस्त आयामों के बिना विभेद के समाज से स्थापित करने का प्रयास किया।

सर्वोदय समाज और सामाजिक न्याय–

विभिन्न मतावलंबियों ने समग्र समाज के सदस्यों के उदय के लिए भिन्न भिन्न आयाम प्रस्तुत किये। लेकिन गांधीय चिंतन ने एक ऐसे सर्वोदयी दर्शन का रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें मानवीय संबंधों का आधार सत्य, अहिंसा एवं धर्म होगा। जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्तर्निहीत क्षमताओं का सर्वांगीण विकास कर सकेगा। जहां ऊंच–नीच,

सबल–निर्बल, अमीर–गरीब का विभेद न रहेगा। जहां सबको समता एवं न्याय का आश्रय सुलभ होगा। महिला–पुरूष समान अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। शारीरिक श्रम की महत्ता को स्थापित किया जायेगा।

ऐसे संपोषी समाज में व्यक्ति नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास कर आत्म नियंत्रण एवं स्वशासन की क्षमता को प्राप्त कर मानवीय गरिमा एवं प्रतिष्ठा के संपादन में निरत् रहेगा। वे कहते है कि ''हम छोटे से छोटे मनुष्य के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ करें। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हिन्दू मुसलमानों के बीच वैमनस्यता को दूर करने हेतु 18 सित. 1924 से 21 दिनों का उपवास रखा। वे कहते थे कि हिन्दू मुसलमानों को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

वर्णाश्रम धर्म

वे मानते थे कि वर्णधर्म ही मानव का जीवन धर्म है। मानव मात्र समान है, फिर भी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यायपूर्ण, शोषण रहित एवं साम्य अवस्था की जरूरत रहती है, जिसे वर्ण व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है। गुण और कर्म जन्म से ही प्राप्त होते है। गांधी जी के शब्दों में –

''मानव का लक्ष्य ईष्वर का साक्षात्कार है। उसके लिए वर्णाश्रम का पालन करना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन उद्देष्य की व्याख्या करता है। वह रोज–रोज धन बटोरने और आजीविका के भिन्न –भिन्न साधन खोजने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इसके विपरीत मनुष्य इसलिए पैदा हुआ है कि वह अपने प्रभु को जानने के लिए अपनी शक्ति का एक–एक अणु काम में ले। इसलिए वर्णाश्रम धर्म उस पर यह पाबंदी लगाता है कि वह जीवित रहने के लिए सिर्फ अपने बाप दादा का पेशा करे। यहीं वर्णाश्रम धर्म है, न कम न ज्यादा।

यंग इण्डिया 27.10.1927

उनका मानना था कि **अलग–अलग वर्णों के व्यवसायों के मध्य निम्नता या श्रेष्ठता जैसी कोई बात नहीं होती है। उनकी उपयोगिता एवं उपादेयता समाज के लिए समान महत्व की है। उनकी दृष्टि में वर्णों का सृजन आनुवांषिकी, जीविकोपार्जन की सुरक्षा के लिए हुआ था।**

हिन्दी नवजीवन 07.06.1937

जाति प्रथा– ऐसी कोई प्रथा सामाजिक जीवन का अंग नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन प्रभावित होता हो। जातिप्रथा एवं तद्जनित कुरीतियों का विरोध करके गांधी जी ने भारतीय सामाजिक प्रणाली में दलितों, उपेक्षितों, कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों के लिए मानवाधिकार के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। जातिप्रथा के कारण समाज विघटन की दिशा में उत्प्रेरित होता है। जब व्यक्ति घृणा के कारण अन्य वर्गों के व्यक्तियों को निम्न एवं अछूत समझने लग जाये तो वह व्यक्ति प्रतिपक्षी व्यक्ति के मानव होने के मूलभूत अधिकार को चुनौती देते हुए उसे पशुतुल्य जीवन जीने को मजबूर देता है।

अस्पृश्यता निवारण– भारतीय सामाजिक प्रणाली में जहां व्यवसाय आधारित विभिन्न जातियों एवं उपजातियों के समूहों में विभक्त किया हुआ था किन्हीं जातियों के कार्यों को पवित्र तथा किन्हीं संसाधन विहीन जातियों के कृत्यों को अपवित्रता की कोटि में श्रेणीबद्ध किया हुआ था। जाति विशेष के लोगों को व्यवसाय विशेष में जुड़े होने के कारण पूजनीय एवं अस्पर्शनीय (अछूत) माना गया था। इसका तात्पर्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से असमान स्थिति में था। ऐसे परिवेश में मानवाधिकारों को संरक्षित करने की महती आवश्यकता थी। गांधी जी ने छुआछूत को

हिन्दू समाज के लिए कलंक बताया। उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया कि यदि कोई यह प्रमाणित कर दे कि छुआछूत हिन्दू धर्म का एक अंग है तो वे हिन्दू धर्म के विरूद्ध विद्रोह करने से संकोच नहीं करेंगे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में अनिवार्य रूप से ईश्वरीय अंश है, अतः कोई भी व्यक्ति जन्म में अछूत नहीं हो सकता। किसी को जन्म से ही अछूत मान लेना मानवता के प्रति घोर अपराध है। साथ ही शाश्वत् सत्ता सत्य की भी अवहेलना है।

नारीवादी दृष्टिकोण – गांधीवादी वैचारिकी मानव मानव के मध्य समता के साथ साथ महिला पुरूष के बीच विभेद को अस्वीकृत करता है। उन्होंने नैतिक दृष्टि से महिलाओं को पुरूषों में कहीं ज्यादा शक्तिशाली माना है। क्योंकि उनमें त्याग की मनोवृति पुरूषों से कहीं ज्यादा होती है। तत्कालीन समाज में प्रचलित बाल विवाह, विधवा प्रथा, दहेज प्रथा, नारी अशिक्षा, देवदासी प्रथा, स्त्री दास प्रथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य के सामने विकट चुनौतियां मुंह बायें खड़ी थी। जिनके निराकरण के लिए महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। उनका मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए उनसे संबंधित समस्त चुनौतियों का समाधान किए बिना सामाजिक न्याय के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सकता।

सामाजिक न्याय के गांधीवादी चिंतन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसमें सामाजिक समरसता, परार्थ सुखवादी दृष्टिकोण, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का उत्थान करने की अनूठी कला समाहित है, वे सामाजिक न्याय के लक्ष्य की उपलब्धि के लिए मानवाधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों को भी विशेष महत्व देते हुए वे श्रीमद्भागवद् गीता के इस महान सूत्र का समर्थन करते है–

कर्मण्येय वाधिकारस्ते का फलेषु कदाचन।
मा कर्म फलहेतुर्भूमाते संगोडस्त्वकर्मणि।।

श्रीमद्भागवद गीता 2.47

सामाजिक न्याय की संकल्पना गांधी दर्शन की आधार शिला है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्तरों पर निहीत असमानताओं एवं अन्यायपूर्ण गतिविधियों से उपेक्षित, कमजोर एवं वंचित तबके के सदस्यों को विमुक्ति दिलाने में कोई कोर कसर बाकी न रख छोड़ी थी। उन्होंने संपोषी समाज का सृजन कर सामाजिक न्याय को भारतीय समाज की मौलिक अनिवार्यता के रूप में प्रस्थापित किया । गांधीवाद वर्तमान परिदृश्य से पूरी तरह प्रसांगिक है, क्योंकि गांधीवादी चिन्तन स्त्रियों के अधिकारों एवं अछूतोद्धार के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे। जिस समाज का कोई भी हिस्सा मानवीय गरिमा एवं प्रतिष्ठा की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित हों, वहां गांधीय चिंतन के सामाजिक न्याय की वैचारिकी को धरातलीय यथार्थ पर उकेरना अपिरहार्य होगा।

संदर्भ ग्रन्थ

1. महात्मा गांधी, हरिजन
2. महात्मा गांधी, यंग इण्डिया
3. महात्मा गांधी , दा लॉ ऑफ लव
4. महात्मा गांधी, नवजीवन
5. महात्मा गांधी, सर्वोदय, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 1963
6. गांधी और अम्बेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, शोध ग्रंथ
7. गांधी–मोहनदास : मंगलप्रभात (अनुवादक–अमृतलाल ठाकोरदास नानावटी) नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1950
8. श्रीराम जी सिंह, गांधी विचार एवं सामाजिक पुनर्रचना मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी, 1997
9. सुमन, रामनाथ अहिंसा और सत्य (गांधी जी) वाराणसी, उ.प्र. गांधी स्मारक निधि सेवापुरि वाराणसी अक्टूबर 1965
10. योगसूत्र
11. बृहदारण्यक उपनिषद
12. सतपथ ब्राह्मण
13. तैतिरीय ब्राह्मण
14. श्रीमद्भागवद गीता